



1. प्रियका बराह पुत्री श्री कपाल सिंह
2. अश्वीर सिंह पुत्र कपाल सिंह
3. गानदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह
4. स्वामीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह
5. अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह
6. विनयजीत कौर पुत्री श्री कपालसिंह जारिये मुआम कपाल सिंह बराह नि 3 एक छोटी.
7. जनार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जति जतसिख निवासी एक 3 एक छोटी, साहवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
8. गुरदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह जति जतसिख निवासी एक 3 एक छोटी, साहवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर जारिये मुखत्यार आम जसधात कौर पत्नी मनजीत सिंह निवासी 3 एक छोटी, श्रीगंगानगर

जति जतसिख निवासीयान एक 3 एक छोटी साहवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

1. अमरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जति जतसिख निवासी एक 2 एनएन तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. दलीप कौर पत्नी हरबन्स सिंह जति जतसिख निवासी एक 3 एक छोटी, साहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. दर्शन कौर पुत्री श्री गुरदरप सिंह जति जतसिख निवासी एक 1 एक एक तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0) जारिये मुखत्यार आम मजर सिंह पुत्र कर्पूर सिंह जति जतसिख निवासी एक 3 एक छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. मनजीत कौर पुत्री हरबन्स सिंह
5. कपाल सिंह बराह पुत्र श्री हरबन्स सिंह
6. मनजीत सिंह बराह पुत्र श्री हरबन्स सिंह
7. हरदयाल सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह
8. बलजिन्द सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जति जतसिख निवासी एक 2 एनएन तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
9. लखविन्द सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह जति जतसिख निवासी बहिना तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

बनाम

— वादीमण

हरमगवान सिंह पुत्र बलवीर सिंह जात जलसख नवासा थक 2 ११११ नवम्बर १९१३

जिला श्रीगंगानगर (राज०)

स्टेट ऑफ राजस्थान जारिये गवर्नमेन्ट (राजस्थ) श्रीगंगानगर।

..... प्रतिवादीगण

(वादीगण)

(प्रतिवादी-1 ता 10)

(प्रति-11)

उपस्थित-अधिवक्ता श्री अक्षिपाल जोशी
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी
धरोकार राज

--:: निर्णय ::--

दिनांक:-24.05.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण थक 2 जी
जिला जिला पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के कारतकारन है तथा इस

थक के निम्नलिखित विवरण की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है :-

अ थक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के

कृषक खाला संख्या 4/3 के मुख्या नम्बर 11 की 1.265 है. व मुख्या नम्बर 12 की 1.012 है.व

कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से अमरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 8/9 हिस्सा यानि 2

024 है. व अश्वीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 1/9 हिस्सा यानि 0.253 है. कृषि भूमि जमाबन्दी

मुताबिक दर्ज कागजात राज है। (जमाबन्दी संलग्नक-1 है)

ब थक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के

जाला संख्या 5/51 के मुख्या नम्बर 11 की 2.403 है. कृषि भूमि अश्वीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के

नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। (जमाबन्दी संलग्नक-2 जी)

क थक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के

कृषक खाला संख्या 9/11 के मुख्या नम्बर 2 की 1.240 है. नहरी कृषि भूमि में से कृपाल सिंह

बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है., दरखान कार पूत्री गुरदरगण सिंह के

नाम 1/2 हिस्सा यानि 0.620 है., दलीप कार पत्नी हरबन्स सिंह के नाम 0.124 है., मनजीत कार

पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है., मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के

नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है., हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.

124 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। (जमाबन्दी संलग्नक-3 है)

क थक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के

कृषक खाला संख्या 10/10 के मुख्या नम्बर 2 की कुल 1.240 है. नहरी कृषि भूमि में से कृपाल

सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है., दलीप कार पत्नी हरबन्स सिंह

के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है., मनजीत कार पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.

248 है., मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है., हरदयाल सिंह

सिंह के नाम 633/6325 हिस्सा यानि 0.633 है, दलीप कौर पत्नी हरबन्सिंह के नाम 0.582 है, जगदर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम 1/25 हिस्सा यानि 0.253 है, दर्शन कौर पुत्री हरदयाल

पति में से कृपाल सिंह बख्त पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.582 है, सयुक्त खाला संख्या 41/31 के मुख्या नम्बर 24 की कुल 6.325 है, नहरी/खाला मय बाग कृषि

1. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के यानि 0.928 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कमाजाल राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-9 है)

1054/6199 हिस्सा यानि 1.054 है, विनयजीत कौर पुत्री कृपाल सिंह के नाम 928/6199 हिस्सा कृपाल सिंह के नाम 3514/6199 हिस्सा यानि 3.514 है, मनजीत सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम

जगदरसिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम 703/6199 हिस्सा यानि 0.703 है, प्रियका बख्त पुत्री सयुक्त खाला संख्या 32/8 के मुख्या नम्बर 4 की कुल 6.199 है, नहरी कृषि भूमि में से

1. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कमाजाल राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-8 है)

506 है, नहरी, मुख्या नम्बर 12 की 0.506 है, नहरी कुल 2.318 है, नहरी कृषि भूमि बलविन्द सिंह सयुक्त खाला संख्या 30/30 के मुख्या नम्बर 10 की कुल 1.306 है, नहरी, मुख्या नम्बर 11 की 0.

1. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कमाजाल राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-7 है)

को 0.126 है, नहरी कुल 0.252 है, नहरी मय खाला कृषि भूमि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के सयुक्त खाला संख्या 29/8 के मुख्या नम्बर 4 की 0.126 है, नहरी मय खाला व मुख्या नम्बर 22

1. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के है (जमाबन्दी संलग्नक-6 है)

पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा 0.203 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कमाजाल राज 0.202 है, मनजीत सिंह बख्त पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा 0.202 है, हरदयाल सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है, मनजीत कौर पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि

सिंह बख्त पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.203 है, दलीप कौर पत्नी हरबन्स सिंह सयुक्त खाला संख्या 26/28 के मुख्या नम्बर 2 की कुल 1.012 है, नहरी कृषि भूमि में से कृपाल

1. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के हरदयाल सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कमाजाल राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-5 है)

संख्या 14/17 के मुख्या नम्बर 2 की कुल 0.228 है, नहरी कृषि भूमि जगदर सिंह पुत्र एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के

राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-4 है) पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कमाजाल

प्रकार बतवाया किया हुआ है:-

भूमि को अपनी किरात में सहेलियत के लिए उक्त वर्गीत कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न
वादीनाम एवं प्रतिवादीनाम संख्या 1 से 12 ने वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्गीत कृषि
संलग्नक-14 है)

सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है, (जमाबन्दी
खाला संख्या 71/59 के मुख्या नम्बर 11 की कुल 2.024 है, नहरी कृषि भूमि जो कि हरमनावान
N. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के
कागजात राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-13 है)

2.199 है, नहरी कृषि भूमि हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज
खाला संख्या 70/60 के मुख्या नम्बर 10 की कुल 0.276 है, व मुख्या नम्बर 12 की 1.923 है, कुल
M. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के
यानि 1.897 है कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-12 जी)

नाम 15/62 हिस्सा यानि 3.795 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1897/15686 हिस्सा
है, सीमा पुत्री सुरेन्द्र कुमार के नाम 15/62 हिस्सा यानि 3.795 है, सोनिया पुत्री सुरेन्द्र कुमार के
1202/7843 हिस्सा यानि 2.404 है, सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज के नाम 5/31 हिस्सा यानि 2.530
सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 5/62 हिस्सा 1.265 है, अतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम
है, मुख्या नम्बर 33 की 6.325 है, कुल 15.686 है, नहरी/खाला मय गान कृषि भूमि में से अर्धवीर
समुपल खाला संख्या 65/57 के मुख्या नम्बर 22 की कुल 3.036 है, व मुख्या नम्बर 29 की 6.325
L. एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के
(जमाबन्दी संलग्नक-11 है)

हरबन्स सिंह के नाम 2.631 है, नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है,
खाला संख्या 51/45 के मुख्या नम्बर 12 की कुल 2.631 है, नहरी कृषि भूमि लखवीन्द्र सिंह पुत्र
एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के
1.582 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है, (जमाबन्दी संलग्नक-10 है)

2/5 हिस्सा यानि 2.530 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि
हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.581 है, रणवीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह
नजीब कौर पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.582 है, मनजीत सिंह बराह

वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संवत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 65/57 के मुख्या नम्बर 22 की कुल 3.036 है, व मुख्या नम्बर 29 की 6.325 है. मुख्या नम्बर 33 की 6.325 है. कुल 15.686 है. नहरी/खाला मय बाग कृषि भूमि में से अर्धवोर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 5/62 हिस्सा 1.265 है. अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम 1202/7843 हिस्सा यानि 2404 है. हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1897/15686 हिस्सा यानि 1.897 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से अर्धवोर सिंह पुत्र कृपाल सिंह

अर्धवोर सिंह पुत्र कृपाल सिंह 1.285 है. अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 2805 है, गगनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह 1.476 है. जाति जटसिख निवासीयान 3 एक छोटी, साहवाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संवत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 70/60 के मुख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 20/2(0.049 है), 21(0.227 है) कुल 0.276 है. नहरी कृषि भूमि कृषि भूमि जो कि हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से मुख्या नम्बर 10 के 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है. कुल 2.199 है. नहरी (प्रत्येक में 0.228 है), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है), नम्बर 1(0.228 है), 2, 9 (प्रत्येक में 0.253 है), 10, 11 227 है.) कुल 0.276 है. नहरी व मुख्या नम्बर 12 के किला मुख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 20/2(0.049 है), 21(0.227 है) कुल 0.276 है. नहरी व मुख्या नम्बर 12 के किला 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 70/60 के वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संवत् 22 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है) = 1.306 है. नहरी 17/2 (0.074 है), 18/2(0.073 है), 19/2(0.073 है), है में से मुख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 16/2(0.074 है), सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज 0.506 है. नहरी कुल 2.318 है. नहरी कृषि भूमि बलवीर मुख्या नम्बर 11 की 0.506 है. नहरी, मुख्या नम्बर 12 की 30/30 के मुख्या नम्बर 10 की कुल 1.306 है. नहरी, 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संवत्

गगनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह 1. है. जाति जटसिख निवासीयान 3 एक छोटी, साहवाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संवत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 41/31 के मुख्या नम्बर 24 की कुल 6.325 है. नहरी/खाला मय बाग कृषि भूमि में से कृपाल सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0. है. मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.582 है. पत्नी हरबन्ससिंह के नाम 0.582 है, मनजीत कौर पुत्री नाम 633/6325 हिस्सा यानि 0.633 है, दर्लीप कौर हिस्सा यानि 0.253 है, दर्शन कौर पुत्री गुरवर्ण सिंह के 582 है. जगतर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम 1/25 पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0. मुख्या नम्बर 2/5 हिस्सा यानि 2.530 है, हरदयाल सिंह 2909/31625 हिस्सा यानि 0.581 है, रणवीर सिंह पुत्र है, मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.582 है. पत्नी हरबन्ससिंह के नाम 0.582 है, मनजीत कौर पुत्री नाम 633/6325 हिस्सा यानि 0.633 है, दर्लीप कौर हिस्सा यानि 0.253 है, दर्शन कौर पुत्री गुरवर्ण सिंह के 582 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

सिंह पुत्र मुखवीर सिंह 3.162 है. अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 1.582 है. गगनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह 1.476 है. जाति जटसिख निवासीयान वक 3 एक छोटी, साहवाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

गानदीप सिंह पुत्र मनजोत सिंह 15/62 हिस्सा यानि 3.795 है. बदनर
 यानि 3.795 है. सोनिया पुत्री सुरेन्द्र कुमार के नाम 15/62
 2.530 है. सोमा पुत्री सुरेन्द्र कुमार के नाम 15/62 हिस्सा
 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज के नाम 5/31 हिस्सा यानि
 हिस्सा यानि 3.795 है. बदनर

सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या
 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या
 10/10 के मुर्खा नम्बर 2 के किला नम्बर 11 (0.
 228 है.) 12 से 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.240
 है. नहरी कृषि भूमि जो कि कृपाल सिंह बराह पुत्र हरबन्स
 सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है. दलीप कौर
 पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है.
 मनजोत कौर पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि
 0.248 है. मनजोत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम
 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है. हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स
 सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है. कृषि भूमि
 जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार
 एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार
 संभव 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या
 14/17 के मुर्खा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 की कुल 0.
 228 है. नहरी कृषि भूमि जो कि जगतार सिंह पुत्र हरदयाल
 सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला
 संख्या 26/28 के मुर्खा नम्बर 2 के किला नम्बर 2 से 5
 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.012 है. नहरी कृषि भूमि जो
 कि कृपाल सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5
 हिस्सा यानि 0.203 है. दलीप कौर पुत्री हरबन्स सिंह
 के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है. मनजोत कौर पुत्री
 हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है.
 मनजोत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा
 0.202 है. हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5

मनजोत कौर पुत्री कृपाल सिंह
 3.100 है. खातीर सिंह पुत्र सुखवीर
 0.620 है. जाति जटसिंह
 भासोदान एक 3 एक छोटी,
 तहसील व जिला
 कानानगर (राजस्थान)



सम्बन्धित कौर पुरी कपाल सिंह
 5060 है, प्रियका बराह पुरी कपाल
 सिंह 1,265 है, जाति उत्सिख
 निवासी 3 एक छोटी, साहूवाला
 (राजस्थान) श्रीगंगानगर जिला व
 जगतपुर

सम्बन्धित 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता
 संख्या 29/8 के मुख्या नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2
 नम्बर 29/8 के मुख्या नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2
 है, नहरी कृषि भूमि जो कि बराजिन्द सिंह पुर बराजौर
 सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है शेष मुख्या
 नम्बर 22 के किला नम्बर 5/2 की 0.126 है कृषि भूमि
 बरपुर

सम्बन्धित 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता
 संख्या 32/8 के मुख्या नम्बर 4 के किला नम्बर 1 से 4
 (प्रत्येक सं 0.253 है), 5/1(0.228 है), 5/2(0.025 है,
 खाता), 6/1(0.228 है), 6/2 (0.025 है, खाता), 7 से 14
 (प्रत्येक सं 0.253 है), 15/1(0.228 है), 15/2(0.025 है,
 खाता), 16/1(0.227 है), 16/2(0.026 है, खाता), 17 से
 24 (प्रत्येक सं 0.253 है), 25/1(0.127 है) कुल 6.199 है,
 [0.098 है, नहरी है] नहरी कृषि भूमि जो कि
 जगतपुरसिंह पुर हरदयाल सिंह के नाम 703/6199 हिस्सा
 यानि 0.703 है, प्रियका बराह पुरी कपाल सिंह के नाम
 3514/6199 हिस्सा यानि 3.514 है, मनजीत सिंह पुर
 हरदयाल सिंह के नाम 1054/6199 हिस्सा यानि 1.054 है,
 विनयजीत कौर पुरी कपाल सिंह के नाम 928/6199
 हिस्सा यानि 0.928 है कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज
 है।

सम्बन्धित 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता
 संख्या 4/3 के मुख्या नम्बर 11 की 1.265 है, व मुख्या
 नम्बर 12 की 1.012 है कुल 2.277 है, नहरी कृषि भूमि में
 से अमरजीत सिंह पुर बराजौर सिंह के नाम 8/9 हिस्सा
 यानि 2.024 है, व अश्वीर सिंह पुर कपाल सिंह के नाम
 1/9 हिस्सा यानि 0.253 है कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक
 में से मुख्या नम्बर 11 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11
 (प्रत्येक सं 0.253 है) = 1.265 है, नहरी कृषि भूमि

सम्बन्धित 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाता संख्या 5/51
 के मुख्या नम्बर 11 के किला नम्बर 16 से 20 (प्रत्येक सं
 0.253 है), 21 से 23 (प्रत्येक सं 0.228 है), 24, 25 (प्रत्येक
 सं 0.227 है) = 2.403 है, नहरी कृषि भूमि जो कि अश्वीर
 सिंह पुर कपाल सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज
 है।

सम्बन्धित 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाता संख्या 5/51
 के मुख्या नम्बर 11 के किला नम्बर 16 से 20 (प्रत्येक सं
 0.253 है), 21 से 23 (प्रत्येक सं 0.228 है), 24, 25 (प्रत्येक
 सं 0.227 है) = 2.403 है, नहरी कृषि भूमि जो कि अश्वीर
 सिंह पुर कपाल सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज
 है।

जगतपुर सिंह पुर हरदयाल सिंह जाति
 उत्सिख निवासी एक 3 एक छोटी,
 साहूवाला रह, व जिला श्रीगंगानगर
 (राज)



12 की 0.506 है. नहरी कुल 2.318 है. नहरी कृषि भूमि जो कि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से मुरखा नम्बर 11 के किला नम्बर 12, 13(प्रत्येक में 0.253 है.) = 0.506 है. नहरी

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्बल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 71/59 के मुरखा नम्बर 11 के किला नम्बर 3 से 8, 14, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.024 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक जो कि हरमगवान सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्बल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 29/8 के मुरखा नम्बर 4 की 0.126 है. नहरी मय खाला व मुरखा नम्बर 22 की 0.126 है. नहरी कुल 0.252 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जो कि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से मुरखा नम्बर 22 की 0.126 है. नहरी कृषि भूमि

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्बल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 4/3 के मुरखा नम्बर 11 की 1.265 है. व मुरखा नम्बर 12 की 1.012 है.

कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से अमरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 8/9 हिस्सा यानि 2.024 है. व अश्वीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 1/9 हिस्सा यानि 0.253 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरखा नम्बर 12 के किला नम्बर 3, 4, 5, 6, (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.012 है. नहरी

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्बल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 30/30 के मुरखा नम्बर 10 की कुल 1.306 है. नहरी, मुरखा नम्बर 11 की 0.506 है. नहरी, मुरखा नम्बर 12 की 0.506 है. नहरी कुल 2.318 है. नहरी कृषि भूमि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से मुरखा नम्बर 12 के किला नम्बर 7, 8 (प्रत्येक में 0.253 है.)=0.506 है. नहरी

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्बल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 70/60 के मुरखा नम्बर 10 के किला नम्बर 20/2(0.049 है.), 21(0.227 है.) कुल 0.276 है. नहरी व मुरखा नम्बर 12 के किला नम्बर 10.228 है.) 2 9 (प्रत्येक में 0.253 है.), 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है.) 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.) 20(प्रत्येक में 0.227 है.) 228 है.)

सिंह पुत्र मनजीत सिंह जालि निवासीयान 3 एक छोटी, जिलाश्रीमानगानगर



वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरूर समान तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को और से दिनांक 11.03.2022 को जवाबदावा मय काउंटरकेम पेश किया गया जिसके मुताबिक वाद पत्र की मद संख्या 3 जिसको वादीगण ने अपने वाद पत्र में मद संख्या 4 वर्णित किया है में वर्णित पारस्परिक सहमति से किया गया विभाजन स्वीकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 निम्न प्रकार काबिल कारत है :-

- (ख) कि अन्य कोई अनुवीष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलावाया जावे।
- (ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलावाया जावे।
- (घ) उपरत धौषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।
- संख्या 1 से 10 की धौषित की जावे।
- कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित टैबल अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी (क) कि वाद पत्र की मद संख्या 2 की उप मद संख्या A से N में दर्ज चक 2 जी छोटी की स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रतिवादीगण ने पेश करने से साफ इन्कार कर दिया है, यही विनाय मुख्यास्म है। वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा जाते हैं दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को दिनांक 06/08/2021 मुताबिक करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम रवान करने की धमकियां देते रहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 उरत रकबा की गलत तौर से करण, प्रतिवादी संख्या 1 से 10, वादीगण को उरत कृषि भूमि से जबरदस्ती बंदखल कर उसका नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वे उसके खातेदार मालिक दर्ज होने के मुताबिक अण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है, उरत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 नाम का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि अण, कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उरत कृषि वादीगण को प्राप्त हुई कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर जबरन दरामद करवाया जाना जकसी है। उरत पारस्परिक सहमति अनुसार किए गए बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को प्राप्त हुई भूमि को धौषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा में आई उरत वर्णित कृषि भूमि के काबिल कारत है। इस धरत बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 पारस्परिक सहमति से किए गए बंटवारा द्वारा अपने

| |
|---|
| भूमि |
| सिंह पुर दरबानस सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में |
| से मुख्या नम्बर 12 के किला नम्बर 1(0.228 है), 2, 9 (प्रत्येक में 0.253 है), 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है), 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है. नहरी कृषि |

अर्धवार सिंह पुत्र कृपाल सिंह 1.285
 है अवार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह
 2805 है गानदीप सिंह पुत्र मनजीत
 सिंह 1.476 है जाति जटसिख
 निवासीयान 3 एक छोटी, साहवाला
 तहसील व जिला श्रीगानगर
 (राजस्थान)

चक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार
 संभव 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला
 संख्या 65/57 के मुख्या नम्बर 22 की कुल 3.036 है, व
 मुख्या नम्बर 29 की 6.325 है मुख्या नम्बर 33 की 6.325
 है कुल 15.686 है नहरी/खाला मय बाग कृषि भूमि में से
 अर्धवार सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 5/62 हिस्सा 1.265
 है, अवार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम 1202/7843
 हिस्सा यानि 2.404 है हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के

चक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संभव
 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या
 30/30 के मुख्या नम्बर 10 की कुल 1.306 है नहरी,
 मुख्या नम्बर 11 की 0.506 है नहरी, मुख्या नम्बर 12 की
 0.506 है नहरी कुल 2.318 है नहरी कृषि भूमि बलिनन्द
 सिंह पुत्र बलवार सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज
 है में से मुख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 16/2(0.074 है),
 17/2 (0.074 है), 18/2(0.073 है), 19/2(0.073 है),
 22 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है) = 1.306 है नहरी
 चक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संभव
 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 70/60 के
 मुख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 20/2(0.049 है), 21(0.
 227 है) कुल 0.276 है नहरी व मुख्या नम्बर 12 के किला
 नम्बर 1(0.228 है), 2, 9 (प्रत्येक में 0.253 है), 10, 11
 (प्रत्येक में 0.228 है), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है),
 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है कुल 2.199 है नहरी
 कृषि भूमि जो कि हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम
 से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से मुख्या नम्बर 10 के
 किला नम्बर 20/2(0.049 है), 21(0.227 है) कुल 0.276
 है नहरी कृषि भूमि



सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता
 एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार
 सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।
 228 है, नरही कृषि भूमि जो कि जगतार सिंह पुत्र हरदयाल
 14/17 के मुख्या नम्बर 2 के किला नम्बर 1 की कुल 0.
 सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाता संख्या
 एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार

जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।
 सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है, कृषि भूमि
 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स
 0.248 है, मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम
 मनजीत कौर पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि
 पत्नी हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है,
 सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है, दलीप कौर
 है, नरही कृषि भूमि जो कि कपाल सिंह बराह पुत्र हरबन्स
 228 है), 12 से 15 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 1.240
 संख्या 10/10 के मुख्या नम्बर 2 के किला नम्बर 11 (0.
 सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता
 एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार

मुताबिक दर्ज है।
 नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है, कृषि भूमि जमाबन्दी
 हिस्सा यानि 0.124 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के
 मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/10
 पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है,
 कौर पत्नी हरबन्स सिंह के नाम 0.124 है, मनजीत कौर
 गुरदयाल सिंह के नाम 1/2 हिस्सा यानि 0.620 है, दलीप
 नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है, दर्शन कौर पुत्री
 कृषि भूमि जो कि कपाल सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के
 (प्रत्येक में 0.253 है), 20 (0.228 है) = 1.240 है, नरही
 9/11 के मुख्या नम्बर 2 के किला नम्बर 16 से 19
 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता संख्या
 एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्बत

हिस्सा यानि 3.795 है, बदरपुर
 यानि 3.795 है, सोनिया पुत्री सुरेन्द्र कुमार के नाम 15/62
 2.530 है, सीमा पुत्री सुरेन्द्र कुमार के नाम 15/62 हिस्सा
 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज के नाम 5/31 हिस्सा यानि
 गगनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह 1.476 है, शेष खातदार
 1.285 है, अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 2.805 है,
 जमाबन्दी मुताबिक में से अर्धवीर सिंह पुत्र कपाल सिंह
 नाम 1897/15686 हिस्सा यानि 1.897 है, यूप गीत

कौर पुत्री कपाल सिंह
 0.620 है, जालि जलसिख
 एक 3 एक छोटी,
 तहसील व जिला
 (राजस्थान)



संख्या 26/28 के मुरखाना नम्बर 2 के किला नम्बर 12 से मुरखाना नम्बर 11 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11

1/9 हिस्सा यानि 0.253 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक यानि 2024 है. व अर्थात् सिद्ध पुत्र कृपाल सिंह के नाम से अमरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 8/9 हिस्सा नम्बर 12 की 1.012 है. व कूल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में संख्या 4/3 के मुरखाना नम्बर 11 की 1.265 है. व मुरखाना संख्या 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला

यक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौखाला आधार

जगतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जालि
वत्सिख निवासी यक 3 एक छोटी,
साहवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
(राजप)

संख्या 32/8 के मुरखाना नम्बर 4 के किला नम्बर 1 से 4
सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला

यक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौखाला आधार

बदरपुर

नम्बर 22 के किला नम्बर 5/2 की 0.126 है. कृषि भूमि
सिद्ध के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है वर मुरखाना
मय खाला कृषि भूमि जो कि बलवीर सिंह पुत्र बलवीर
(0.100 है.), 25/3 (0.026 है. खाला) कूल 0.126 है. नहरी
संख्या 29/8 के मुरखाना नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2
सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला

यक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौखाला आधार

नम्बर 22 के किला नम्बर 5/2 की 0.126 है. कृषि भूमि
सिद्ध के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है वर मुरखाना
मय खाला कृषि भूमि जो कि बलवीर सिंह पुत्र बलवीर
(0.100 है.), 25/3 (0.026 है. खाला) कूल 0.126 है. नहरी
संख्या 29/8 के मुरखाना नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2
सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला

यक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौखाला आधार

मनजीत कौर पुत्री कृपाल सिंह
1265 है, जालि वत्सिख
संख्या 29/8 के मुरखाना नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2
(0.100 है.), 25/3 (0.026 है. खाला) कूल 0.126 है. नहरी
संख्या 29/8 के मुरखाना नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2
सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला

यक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौखाला आधार

संख्या 26/28 के मुरखाना नम्बर 2 के किला नम्बर 2 से 5
(प्रत्येक में 0.253 है.) कूल 1.012 है. नहरी कृषि भूमि जो
कि कृपाल सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5
हिस्सा यानि 0.203 है, दलीप कौर पत्नी हरबन्स सिंह के
नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है. मनजीत कौर पुत्री
हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है.
मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा
0.202 है. हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5
हिस्सा 0.203 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।



वर्गान्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी 12 की 0.506 है. नरही कुल 2.318 है. नरही कृषि भूमि नरही, मुरखा नम्बर 11 की 0.506 है. नरही, मुरखा नम्बर संख्या 30/30 के मुरखा नम्बर 10 की कुल 1.306 है. सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार 1.012 है. नरही कृषि भूमि 12 के किला नम्बर 3, 4, 5, 6. (प्रत्येक में 0.253 है.) = 0.253 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरखा नम्बर अर्धवीर सिंह पुत्र कपाल सिंह के नाम 1/9 हिस्सा यानि बलवीर सिंह के नाम 8/9 हिस्सा यानि 2.024 है. व कुल 2.277 है. नरही कृषि भूमि में से अमरजीत सिंह पुत्र 1.012 है. व

वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 4/3 के मुरखा नम्बर 11 की 1.265 है. व मुरखा नम्बर 12 की मुरखा नम्बर 22 की 0.126 है. नरही कृषि भूमि बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से है. नरही मय खाला कृषि भूमि जो कि बलान्द सिंह पुत्र खाला व मुरखा नम्बर 22 की 0.126 है. नरही कुल 0.252 संख्या 29/8 के मुरखा नम्बर 4 की 0.126 है. नरही मय सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

जमाबन्दी मुताबिक जो कि हरमगावन सिंह पुत्र बलवीर 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.024 है. नरही कृषि भूमि 71/59 के मुरखा नम्बर 11 के किला नम्बर 3 से 8, 14, सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार 13(प्रत्येक में 0.253 है.) = 0.506 है. नरही मुताबिक दर्ज है में से मुरखा नम्बर 11 के किला नम्बर 12, कि बलान्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी 12 की 0.506 है. नरही कुल 2.318 है. नरही कृषि भूमि जो नरही, मुरखा नम्बर 11 की 0.506 है. नरही, मुरखा नम्बर संख्या 30/30 के मुरखा नम्बर 10 की कुल 1.306 है. सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला वक 2 th छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार है।

सिंह पुत्र कपाल सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। 0.227 है.) = 2.403 है. नरही कृषि भूमि जो कि अर्धवीर 0.253 है.), 21 से 23 (प्रत्येक में 0.228 है.), 24, 25 (प्रत्येक में के मुरखा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 से 20 (प्रत्येक में सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 5/51 वक 2 th छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.265 है. नरही कृषि भूमि

नरही सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति बटसिख निवासीयान 3 एक छोटी, साहबगलातह, बजालाश्रीगानगानगर (पानो)



अतः जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 3 जिसे वाद पत्र में मद संख्या 4 वर्णित किया गया है में वर्णित अनुसार बंटवारा घोषित किया जावे तथा उपरोक्त जवाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की भूमि का बंटवारा करते हुए प्रति. सं. 1 ता 10 की भी वाद पत्र की मद संख्या 4 व काउन्टर क्लेम में वर्णित अनुसार घोषणा करते हुए लिखी जाये तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दर्यामद करने के आदेश दिये जावें। वाद पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, इस सीमा तक

है इसलिए उतरदाता संख्या 1 से 10 का उक्त अनुसार हिस्सा घोषित किया जावे।

प्रत्येक सहकारकामदान द्वारा अपने अपने कब्जा काफल में पैदा हुई फसल को बेचान करने व हिस्सी, खाला आदि बचान व अन्य सरकारी सुविधाएं लेने में प्रत्येक सहकारकामदान को अनिवार्य कर बनाना जाता है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहुत अधिक समय व धन बर्बाद होता

है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की इस मद में वर्णित अनुसार कृषि भूमि घोषित की जाती है तो इस उतरदातागण को कोई पराज नही है तथा पूर्णतः सहमत है।

कल है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके ऊपजाऊ बनाया है उक्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त वर्णित टैबल अनुसार कृषि भूमि पर काबिज

काउन्टरक्लेम - (क). उतरदातागण/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 वाद पत्र में वर्णित टैबल अनुसार काबिज कल है उतरदातागण के उक्त रकबा का उक्त अनुसार हिस्सा घोषित किया जाना

नापवहित में आवश्यक है।

कल है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके ऊपजाऊ बनाया है उक्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त वर्णित टैबल अनुसार कृषि भूमि पर काबिज

कल है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके ऊपजाऊ बनाया है उक्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त वर्णित टैबल अनुसार कृषि भूमि पर काबिज

कल है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके ऊपजाऊ बनाया है उक्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त वर्णित टैबल अनुसार कृषि भूमि पर काबिज

कल है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके ऊपजाऊ बनाया है उक्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त वर्णित टैबल अनुसार कृषि भूमि पर काबिज

| | |
|--|---|
| 8 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 0.506 है. नहरी | वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसांला आधार |
| आधार सभत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या | सभत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या |
| 51/45 के मुरखा नम्बर 12 के किला नम्बर 13 से 18 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.202 है.), 22 से 24 (प्रत्येक में 0.228 है.), 25(0.227 है) कुल 2.631 है. नहरी कृषि भूमि | वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसांला आधार |
| 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है.), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है. कुल 2.199 है. नहरी | सभत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या |
| 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है.), 2, 9 (प्रत्येक में 0.253 है.), 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है.), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है. नहरी कृषि भूमि | वक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसांला आधार |

को भी संयुक्त परिवार की समिति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वार्ड में भी संयुक्त इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य रख अर्थात् समिति 221-222 के अनुसार संयुक्त परिवार की समिति पर भी पुत्र-पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। प्रशासन द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुला के हिन्दू कानून की धारा पारिवारिक समझौता की मान्यता दी जा सकती है जिससे विवाद कम हो, पारिवारिक समझौता महत्व दी गई है। पारिवारिक समझौता धोखा-धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस हिस्सा कम या ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक अनुसार यदि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का जीवनकाल में ही जीत का विभाजन करा सकता है। एओआइओआर 1976 एस सी -807 के धैर्यक भूमि में जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की धैर्यक भूमि में पिता के आधार पर हिस्सा की जा सकती है। हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की 8-9-97 के अनुसार सहकर्षकों में जीत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के है। राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प-5(1)राज/6/97/10 दिनांक नियम-6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद लड़की किया जा सकता राजस्थान कारतकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश-12 एवं प्रतिवादीगण रिपोर्ट खतबंद है एवं विभाजन करने के अधिकारी है।

- अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 71/59 पक्ष की। प्रस्तुत जमाबंदियों के अवकाश से वादीगण संख्या 70/60, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू. 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 65/57, जमाबंदी सम्वत् अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 65/57, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, संख्या 51/45, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू. 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 41/31, जमाबंदी सम्वत् अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 32/8, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, संख्या 30/30, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू. 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 29/8, जमाबंदी सम्वत् अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 26/28, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, संख्या 14/17, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू. 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 10/10, जमाबंदी सम्वत् जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 9/11, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी खाला संख्या 5/51, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 4/3, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी छोटी द्वितीय, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गौविन्दपुरा खाला संख्या 4/3, जमाबंदी

वहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम 2 जी के कारण सरकारी सुविधाएं लेने, जमान अदा करने में परेशानियां आती है।

किया हुआ है। सहकारकान को हिस्सा में आया माना गया है।

सम्पत्ति की श्रमा म आता है जलन नग 103 नम्बर 1981 के धल 512 एवं 1978 आरआरडी धल 375 (प्रवर्धो) में करवा सकता है। आरआरडी 1981 के धल 512 एवं 1978 आरआरडी धल 375 (प्रवर्धो) में उपरोक्त की प्रति की गई है।

--- आदेश ---

पदावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उमयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान कायदकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 Division of holding in a suit decreed on the basis of agreement * If during pendency of a suit for division of holding the co-tenant in the suit के अनुसार वाद वादी एवं काउंटरपक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार कर वाद निनप्रकार से हिकी किया जाता

| रकबा का विवरण | बंदाग अनुसार रकबा प्राप्कर्ता |
|--|---|
| <p>चक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसागा आधार सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता संख्या 41/31 के मुख्या नम्बर 24 की कुल 6.325 है नरखी/खागा मय बाग कृषि मूनि में से कृपाल सिंह बराह सिंह 1/25 हिस्सा यानि 0.253 है, दशन कर पूर्यो मुखरण सिंह के नाम 633/6325 हिस्सा यानि 0.633 है, दलीप कौर पत्नी हरबन्ससिंह के नाम 0.582 है, मनजीत कौर पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.582 है, मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.581 है, रणवीर सिंह पुत्र मुखवीर सिंह 2/5 हिस्सा यानि 2.530 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 2909/31625 हिस्सा यानि 0.582 है, कृषि मूनि जमाबन्दी मुताबिक</p> | <p>रुणवीर सिंह पुत्र मुखवीर सिंह 3.162 है, अवार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 1.581 है, गानदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह 1.582 है, जालि जटसिख नरखी/खागा मय बाग कृषि मूनि में से कृपाल सिंह बराह सिंह 1.582 है, चक 3 एक छोटी, साहवाला तहसील व जिला श्रीगानगर (राजस्थान)</p> |
| <p>चक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसागा आधार सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाता संख्या 30/30 के मुख्या नम्बर 10 की कुल 1.306 है नरखी, मुख्या नम्बर 11 की 0.506 है, नरखी, मुख्या नम्बर 12 की 0.506 है, नरखी कुल 2.318 है, नरखी कृषि मूनि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दल है में से मुख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 16/2(0.074 है), 17/2 (0.074 है), 18/2(0.073 है), 19/2(0.073 है), 22 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है) = 1.306 है, नरखी</p> | <p>गानदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह 1.582 है, जालि जटसिख चक 3 एक छोटी, साहवाला तहसील व जिला श्रीगानगर (राजस्थान)</p> |
| <p>चक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसागा आधार सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाता संख्या 70/60 के मुख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 20/2(0.049 है), 21(0.227 है) कुल 0.276 है, नरखी व मुख्या नम्बर 12 के किला नम्बर 1(0.228 है), 2, 9 (प्रत्येक में 0.253 है), 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है), 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है, कुल 2.199 है, नरखी</p> | |

सं जमाबन्दी मुताबिक दल है सं सं मुरखा नम्बर 10 क
 किला नम्बर 20/2(0.049 है), 21(0.227 है) कुल 0.276
 है. नहरी कृषि भूमि

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार
 संभवत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला
 संख्या 65/57 के मुरखा नम्बर 22 की कुल 3.036 है, व
 मुरखा नम्बर 29 की 6.325 है. मुरखा नम्बर 33 की 6.325
 है. कुल 15.686 है. नहरी/खाला मय बाग कृषि भूमि सं सं
 अर्थात् सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 5/62 हिस्सा 1.265
 है. अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम 1202/7843
 हिस्सा यानि 2.404 है. हरदयाल सिंह पुत्र हरबंस सिंह के
 नाम 1897/15686 हिस्सा यानि 1.897 है. कृषि भूमि
 जमाबन्दी मुताबिक सं सं अर्थात् सिंह पुत्र कृपाल सिंह
 1.285 है. अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 2.805 है,
 गानदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह 1.476 है. शेष खातेदार
 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज के नाम 5/31 हिस्सा यानि
 2.530 है. सीमा पुत्री सुरेन्द्र कुमार के नाम 15/62 हिस्सा
 यानि 3.795 है. सीनिया पुत्री सुरेन्द्र कुमार के नाम 15/62
 हिस्सा यानि 3.795 है. बदरपुर

अर्थात् सिंह पुत्र कृपाल सिंह 1.285
 है. अवतार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह
 2.805 है, गानदीप सिंह पुत्र मनजीत
 सिंह 1.476 है. जाति जटसिख
 निवासीयान 3 एक छोटी, साहवाला
 तहसील व जिला श्रीगंगानगर
 (राजस्थान)

विनयजीत कौर पुत्री कृपाल सिंह
 3.100 है. रणवीर सिंह पुत्र सुखवीर
 सिंह 0.620 है. जाति जटसिख
 निवासीयान एक 3 एक छोटी,
 साहवाला तहसील व जिला
 श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुताबिक दल है।
 एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार
 संभवत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला
 संख्या 10/10 के मुरखा नम्बर 2 के किला नम्बर
 11 (0.228 है.), 12 सं 15 (प्रत्येक सं 0.253 है.) कुल 1.240
 है. नहरी कृषि भूमि जी कि कृपाल सिंह बराह पुत्र हरबंस
 सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है. दलीप कौर

कौर पुत्री हरबंस सिंह के नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है,
 मुरवरा सिंह के नाम 1/2 हिस्सा यानि 0.620 है, दलीप
 नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है, दशन कौर पुत्री
 कौर पुत्री हरबंस सिंह के नाम 0.124 है, मनजीत कौर
 पुत्री हरबंस सिंह के नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है,
 मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबंस सिंह के नाम 1/10
 हिस्सा यानि 0.124 है. हरदयाल सिंह पुत्र हरबंस सिंह के
 नाम 1/10 हिस्सा यानि 0.124 है. कृषि भूमि जमाबन्दी

मनजीत कौर पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.248 है, मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 0.248 है, मनजान्दी मुताबिक दर्ज है।

सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 14/17 के मुख्या नम्बर 2 के किला नम्बर 1 की कुल 0.228 है, नरेशी कृषि भूमि जो कि जगार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के सयुक्त खाला संख्या 26/28 के मुख्या नम्बर 2 के किला नम्बर 2 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 1.012 है, नरेशी कृषि भूमि जो कि कपाल सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.203 है, दलीप कौर पत्नी हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है, मनजीत कौर पुत्री हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है, हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.202 है, मनजीत सिंह बराह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा 0.202 है, हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम 1/5 हिस्सा 0.203 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

दियजीत कौर पुत्री कपाल सिंह 5060 है, प्रियका बराह पुत्री कपाल सिंह 1265 है, जालि जलसिख संख्या 29/8 के मुख्या नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2 (0.100 है), 25/3 (0.026 है, खाला) कुल 0.126 है, नरेशी मय खाला कृषि भूमि जो कि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है शेष मुख्या नम्बर 22 के किला नम्बर 5/2 की 0.126 है, कृषि भूमि



वदरपुर

सक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार

सम्बत 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के सयुक्त खाला

संख्या 32/8 के मुख्या नम्बर 4 के किला नम्बर 1 से 4

(प्रत्येक में 0.253 है), 5/1(0.228 है), 5/2(0.025 है, खाला), 6/1(0.228 है), 6/2 (0.025 है, खाला), 7 से 14

(प्रत्येक में 0.253 है), 15/1(0.228 है), 15/2(0.025 है, खाला), 16/1(0.227 है), 16/2(0.026 है, खाला), 17 से

24 (प्रत्येक में 0.253 है), 25/1(0.127 है) कुल 6.199 है [6.098 है, नरेशी + 0.101 है] नरेशी कृषि भूमि जो कि जगारसिंह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम 703/6199 हिस्सा

(नरेशी)

3514/6199 हिस्सा यानि 3.514 है, मनजीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह के नाम 1054/6199 हिस्सा यानि 1.054 है, विनयजीत कौर पुत्री कृपाल सिंह के नाम 928/6199 हिस्सा यानि 0.928 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संख्या 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 4/3 के मुख्या संख्या 11 की 1.265 है, व मुख्या संख्या 12 की 1.012 है, व. कृषि भूमि में से अमरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 8/9 हिस्सा यानि 2.024 है, व अशवीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 1/9 हिस्सा यानि 0.253 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुख्या संख्या 11 के किला संख्या 1, 2, 9, 10, 11 (प्रत्येक में 0.253 है) = 1.265 है, नरही कृषि भूमि

एक 2 th छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संख्या 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 5/51 के मुख्या संख्या 16 से 20 (प्रत्येक में 0.253 है), 21 से 23 (प्रत्येक में 0.228 है), 24, 25 (प्रत्येक में 0.227 है) = 2.403 है, नरही कृषि भूमि जो कि अशवीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

एक 2 th छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संख्या 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 30/30 के मुख्या संख्या 10 की कुल 1.306 है, नरही, मुख्या संख्या 11 की 0.506 है, नरही, मुख्या संख्या 12 की 0.506 है, नरही कुल 2.318 है, नरही कृषि भूमि जो कि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से मुख्या संख्या 11 के किला संख्या 12, 13 (प्रत्येक में 0.253 है) = 0.506 है, नरही

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संख्या 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 71/59 के मुख्या संख्या 11 के किला संख्या 3 से 8, 14, 15 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 2.024 है, नरही कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक जो कि हरमनावान सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार संख्या 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 29/8 के मुख्या संख्या 4 की 0.126 है, नरही मय खाला व मुख्या संख्या 22 की 0.126 है, नरही कुल 0.252 है, नरही मय खाला कृषि भूमि जो कि बलविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से

कानार सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति कटसिख निवासी एक 3 एक छोटी, कड़वाला गढ़, व जिला श्रीगंगानगर (फ30)



22

संख्या 22 की 0.126 है. नरही कृषि भूमि

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 4/3 के संख्या 11 की 1.265 है. व संख्या 12 की 1.012 है. व

कूल 2.277 है. नरही कृषि भूमि में से अमरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 8/9 हिस्सा यानि 2.024 है. व अश्वीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम 1/9 हिस्सा यानि 0.253 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से संख्या 12 के किला नम्बर 3, 4, 5, 6, (प्रत्येक में 0.253 है) = 1.012 है. नरही कृषि भूमि

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के संयुक्त खाला संख्या 30/30 के संख्या 10 की कूल 1.306 है. नरही, संख्या 11 की 0.506 है. नरही, संख्या 12 की 0.506 है. नरही कूल 2.318 है. नरही कृषि भूमि बलवीर सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से संख्या 12 के किला नम्बर 7, 8 (प्रत्येक में 0.253 है.)=0.506 है. नरही

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 51/45 के संख्या 12 के किला नम्बर 13 से 18 (प्रत्येक में 0.253 है), 21(0.202 है. व), 22 से 24 (प्रत्येक में 0.228 है), 25(0.227 है) कूल 2.631 है. नरही कृषि भूमि जो कि जखान्द सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

एक 2 जी छोटी द्वितीय के अन्तिम चौसाला आधार समतल 2071-2074 जमाबन्दी 2076 के खाला संख्या 70/60 के संख्या नम्बर 10 के किला नम्बर 20/2(0.049 है), 21(0.227 है) कूल 0.276 है. नरही व संख्या 12 के किला नम्बर 1(0.228 है), 2, 9 (प्रत्येक में 0.253 है), 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है), 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है. कूल 2.199 है. नरही कृषि भूमि जो कि हरदयाल सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है में से संख्या नम्बर 12 के किला नम्बर 1(0.228 है), 2, 9 (प्रत्येक में 0.253 है), 10, 11 (प्रत्येक में 0.228 है), 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है), 20(प्रत्येक में 0.227 है) = 1.923 है. नरही कृषि भूमि

खर्चा करीबन अपना-अपना बटन करायें। नियमानुसार पूर्वाहिक हेतु स्वाम स्विक प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पूर्वाहिक जारी की जावे।



नरही सिंह पुत्र मनजीत सिंह जालि नरसिंह निवासीयान 3 एक छोटी, साहाजालातह.बजिलाश्रीगंगानगर (राजप)



श्रीमानगणेश
पदने सहायक कलक्टर,
राजस्थान
जिला (राजस्थान)
(मनोज कुमार शर्मा)

24.05.2022 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर भरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक
पञ्चावती निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नदरी/बारानी/गैरमुसकिन) पूर्वनिर्धार ही रहेगी जिसमें किसी
उपलब्ध निवास समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया
आमलेख में अमलदरमद करे। उक्त वर्णित भूमि पर अंगूठा भार की स्थिति पूर्वनिर्धार रहेगी एवम्
तहसीलदार (राजस्थान) श्रीमानगणेश को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व